

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(6) मूल्यांकन/न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 18.09.2019

जिला कलक्टर,
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषय:- 10 से 20 वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके जिले के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि 10 से 20 वर्ष तक के लम्बित न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में हुई प्रगति आशानुरूप नहीं है।

उक्त वर्णन के पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट में आपके जिले (जिसमें आपके जिले के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों व आपके कार्यालय स्तर के उक्त रूप से लम्बित न्यायिक प्रकरण शामिल हैं) से सम्बन्धित सूचना इन्द्राज कर इस विभाग को ई-मेल (justice-deptt@rajasthan.gov.in) के माध्यम से प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


शासन संयुक्त सचिव

